II/निग०/रीवा/2018/02348 56

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर खण्डपीठ रीवा

लवकुश प्रसाद तनय बिन्द्रा प्रसाद निवासी ग्राम खाझा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

भैरव प्रसाद तिवारी तनय रामनाथ तिवारी निवासी ग्राम खाझा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 25/ए-19- निगरानी/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 12/02/2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि न्यायालय कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 12/02/2018 विधि, प्रक्रिया, कार्यवाही के विरूद्ध सम्यत दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत और प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण किये बगैर मनमानी तरीके से किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि प्रश्नगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय में विचारण न्याालय का मूल अभिलेख व प्रतिवेदन आहुत किये बगैर ही आदेश पारित करने की महान भूल की है। जबकि निर्णय पूर्व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे विचारण न्यायालय के अभिलेख व प्रतिवेदन हेतु नियत था तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किये बगैर अचानक मनमाने तरीके से बिना विधिक कार्यवाहियो के पूर्ण किये और बिना अंतिम तर्क सुने प्रश्नगत प्रकरण निराकृत कर आवेदक की निगरानी को निरस्त करने की भूल की है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ने निगरानीकर्ता की प्रस्तुत स्वमेव निगरानी मे उठाये गये तथ्यो का बगैर परीक्षण, अवलोकन के जो दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रमाणित थे मे गलत तथ्यो के आधार पर विचारण दौरान ही बिना अभिलेख प्रतिवेदन मगाये विधिक न्यायिक कार्यवाहियो से परे जाकर

(5-7)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग/रीवा/भूरा/2018/2348 लवकुश / भैरव प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-18	आवेदक अधिवक्ता श्री विकास सिंह भदौरिया उपस्थित । उन्हें कायमी पर सुना गया। प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से अग्राहय की जाती है। सदस्य 21/6/18	